

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।

पत्रांक-

1158

जल जीवन मिशन 246

दिनांक- 03/08/2026

मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी की अध्यक्षता में आयोजित जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति, वाराणसी की समीक्षा बैठक (दिनांक 24.07.2026) का कार्यवृत्त।

दिनांक 24.07.2026 को जनपद वाराणसी में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा एवं रोड़ चौड़ीकरण के कारण क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया-

1. श्री आशीष कुमार सिंह, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
2. श्री मृत्युञ्जय सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रा०मार्ग खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
3. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
4. सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
5. सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. समस्त सहायक अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
7. श्री शमशेर आलम, परियोजना प्रबन्धक, मे० एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।
8. परियोजना प्रबन्धक, मे० जी०ए०इन्फ्रा प्रा०लि०, वाराणसी।
9. श्री राजेश यादव, टीम लीडर, मे० मेधज, टी०पी०आई०, वाराणसी।
10. श्री चन्द्रकांत सिंह, सी०बी०टी०, डी०पी०एम०यू०, वाराणसी।

• जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के द्वारा सभी पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है, जिसमें माह अक्टूबर, 2026 तक 59 नग योजनाएं, माह जनवरी, 2027 तक 139 नग पेयजल योजनाएं, माह मार्च, 2027 तक 178 पेयजल योजनाएं, माह दिसम्बर, 2027 तक 124 पेयजल योजनाएं, माह मार्च, 2028 तक 28 पेयजल योजनाएं तथा माह जून, 2028 तक 03 पेयजल योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा योजनाओं को तय समय सीमा को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही 90 प्रतिशत से अधिक भौतिक प्रगति की 140 पेयजल योजनाओं को माह नवम्बर, 2026 तक 100 प्रतिशत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।

(कार्यवाही-अधि०अभि०, जल निगम (ग्रामीण)/परि०प्रबन्धक, एल०एण्ड०टी०, वाराणसी।)

• रोड़ चौड़ीकरण के कारण क्षतिग्रस्त पाइप लाइन-

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्डों द्वारा 81 पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित 90 कि०मी० पाइप लाइन तथा 1627 नग गृह संयोजन क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के कारण 201 कि०मी० पाइप लाइन तथा 6818 नग गृह संयोजन प्रभावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	लोक निर्माण विभाग के खण्ड का नाम	प्रभावित पेयजल योजनाओं की संख्या	क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की लम्बाई	क्षतिग्रस्त गृह संयोजन
1	रा०मार्ग खण्ड-1	14 नग	16 कि०मी०	429 नग
2	निर्माण खण्ड-1/ प्रान्तीय खण्ड/पी०एम०जी०एस०वाई०	67 नग	74 कि०मी०	1198 नग

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक निर्माण विभाग के खण्डों से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का विवरण अलग-अलग तैयार किया जाय तथा लोक निर्माण विभाग, जल निगम (ग्रामीण) एवं मे० एल०एण्ड०टी० को निर्देशित किया गया कि संयुक्त निरीक्षण क्षतिग्रस्त पाइप लाइन का सत्यापन करते हुए कार्य योजना प्रस्तुत की जाय।

• भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण-

परियोजना प्रबन्धक, मे0एल0एडं0टी0, वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल परिसर तक पहुँच मार्ग विवादित होने तथा पूर्व से आवंटित भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय के रथगन आदेश के कारण निर्माण कार्य बाधित है, जिसके निस्तारण की आवश्यकता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि तीनों तहसील से सम्बन्धित प्रकरणों के विवरण के साथ समस्त उपजिलाधिकारियों को अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से पत्र प्रेषित करते हुये विवाद का निस्तारण जल्द से जल्द करा लिया जाय।

(कार्यवाही-उपजिलाधिकारी, सदर/पिण्डा/राजातालाब, अधि0अभि0, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।)

• नल जल मित्र-

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी के समस्त ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान के माध्यम से दो नल जल मित्र नामित किया जाना है, जिसके लिये जिला पंचायतीराज अधिकारी से सहयोग की अपेक्षा की गयी है। अब तक 1388 नल जल मित्र के सापेक्ष मात्र 459 नल जल मित्र नामित हो पाये हैं। अवशेष ग्राम पंचायतों की सूची जिला पंचायतीराज अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया है कि उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से अवशेष बचे हुए ग्राम पंचायतों में निर्धारित प्रारूप पर नल जल मित्र नामित करने हेतु जिला पंचायतीराज अधिकारी, वाराणसी को पत्र प्रेषित करायें।

(कार्यवाही-जिला पंचायतीराज अधिकारी, वाराणसी।)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Digitally signed by
PRAKHAR KUMAR SINGH
Date: 01-08-2026
11:48:04

(प्रखर कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी

पृ0स0-

/ दिनांक-

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी को सादर अवलोकनार्थ।
3. उपजिलाधिकारी, तहसील-सदर/पिण्डा/राजातालाब, वाराणसी।
4. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
5. अधिशाली अभियन्ता, रा0मार्ग खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
6. अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7. अधिशाली अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
7. जिला पंचायतीराज अधिकारी, वाराणसी।

मुख्य विकास अधिकारी